आंध्रप्रदेश के मंत्री के बेटे की कार दुर्घटना में मौत
मर्सिडीज एसयूवी के भी परखच्चे उड़े

हैदराबादः आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री पी नारायण के 23 साल के बेटे निशित नारायण और उनके दोस्त राजा रवि वर्मा की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। दुर्घटना के वक्त दोनों मर्सिडीज एसयूवी में थे। कथित तौर पर गाड़ी तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके पिता पी नारायण चंद्रबाबू नायडू की सरकार में मंत्री हैं। वे विदेशी दौरे से लौट रहे हैं, 22 साल के नारायण नेशनल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर थे। यह संस्थान कॉलेज और कोचिंग क्लासेज उपलब्ध करवाता है, वह विदेश यात्रा से लौट रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नारायण एसयूवी को ड्राइव कर रहे थे,उनके साथ दोस्त भी मौजूद थे कि तभी मर्सिडीज लोकल मेट्रो के लिए निर्माणधीन पिलर से जा टकराई, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा जुबली हिल्स एरिया में पेड्डामा मंदिर और पिलर नंबर 9 के बीच हुआ, इस घटना के चश्मदीद का कहना है कि उसने रात में बहुत तेज आवाज सुनी, साथ ही मंगलवार और बुधवार रात को शहर में भारी बारिश और तेज हवाएं थीं, कई जगहों पर पानी भरा हुआ था और ठीक से न दिखना भी दुर्घटना में कारण हो सकता है।

युवक पर टंगिया से संघातिक हमला

न्यायसाक्षी@रायगढ़। लैलूंगा के ग्राम केंदाटिकरा में रहने वाला मनबोध सिदार अपनी साली की शादी में शामिल होने परिवार सहित ग्राम सिहारधार आया हुआ था। उसका सादु रेशम सिदार भेड़ीमुड़ा ब भी अपनी पत्नि बच्चों के साथ शादी में शामिल होने आया था । कल रात शादी घर में के मेहमान घर के आगंन में सो रहे थे । मनबोध भी अपने पत्नि, बच्चों के साथ सो रहा था, पास में इसका साढू रेशम सिदार भी अपने परिवार सहित सो रहा था कि रात्रि करीब 11.30 बजे रेशम सिदार आंगन में सोये मनबोध सिदार के ऊपर टांगी से 3-4 प्रहार उसके माथा, बांये हाथ की भुजा और पीठ पर किया, चोट लगने के कारण मनबोध सिदार के चिल्लाने पर रेशम सिदार भाग गया । आहत मनबोध सिदार को उसके ससुर, साला और कुछ लोग वाहन में बिठाकर थाना लैलूंगा लाये, जिसके बाद आहत को उपचार के लिये सीएचसी लैलूंगा रवाना किया गया। आहत मनबोध सिदार ने बताया कि इसका सादु रेशम सिदार उसकी पत्नि और मनबोध सिदार के बीच शंका करता था, मनबोध और रेशम सिदार के बीच बातचीत बंद थी । आहत के रिपोर्ट धारा 307 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी रेशम को गिरफ्तार कर घटना में नियुक्त प्रयुक्त टंगिया जप्त किया गया, आरोपी को कल न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा जायेगा है ।

चोर 90 हजार का मॉल ले उड़े

न्यायसाक्षी@रायगढ़। कुसमुरा के बाबूलाल नायक ने आज थाना कोतरारोड में रिपोर्ट दर्ज करायी की कल दरम्यानी रात इसके घर अज्ञात चोर घुसकर सोने-चांदी के जेवरात, नगदी रकम 13,000 रूपये सहित कुल जुमला 90,000 रूपये की चोरी कर ले गये। कल रात्रि बाबूलाल नायक और उसकी पत्नि खाना खाकर करीब 11 बजे सो गये सुबह उठे तो देखे, दूसरे कमरे का दरवाजा खुला था, अंदर का सामान बिखरा पड़ा था, तथा कमरे के अंदर आलमारी में रखा सोने का हार तीन तोला, सोने का झुमका 1 जोड़ी 6 ग्राम, 1 लटकन 6 ग्राम, चांदी का पायल, बिछिया 25 तोला एवं नगदी 13000 रूपये को कोई चोर बाहर बिजली खम्भे से चढकर कमरे अंदर प्रवेश कर चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।

युवक बालिका को भगा ले गया

न्यायसाक्षी@रायगढ़। ग्राम भाठनपाली में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिक बालिका को गांव में सड़क निमार्ण कार्य में काम करने वाले युवक द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट बालिका के पिता द्वारा चौकी जूटमिल में दर्ज कराया है। भाठनपाली में इन दिनों सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पंचम गोंड़ शहडोल हाल भाठनपाली जूटमिल टेंकर वाहन चलाने का काम करता था, अपहृत बालिका और पंचम गोंड़ एक दूसरे से बातचीत करते थे। ।7मई की रात्रि करीब 9 बजे बालिका घर से दिशा मैदान के लिये निकली थी और काफी देर तक वापस नहीं आयी, तब माता-पिता, भाई गांव में पता लगाये तब उन्हें पंचम गोंड़ के साथ सुबह बातचीत करने की जानकारी हुई। उसके बाद बालिका के परिजन पंचम गोंड के साथ काम करने वालों से पंचम के बारे में पूछने पर काम में नहीं आना बताए, बालिका ने अपने पिता को मोबाईल पर पंचम गोड़ से शादी कर लेने की बात बतायी है। घटना के संबंध में बालिका के पिता द्वारा उसके नाबालिक बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने संबंधी दिये गये आवेदन पत्र पर से पंचम गोड़ के विरूद्ध धारा 363,366 भादंवि दर्ज कर लिया गया ।

स्विफ्ट को ट्रक ने ठोका चार घायल

न्यायसाक्षी@रायगढ़। खरसिया का दिलीप अग्रवाल कल दोपहर अपने स्वीफ्ट कार सीजी 13 वी 6493 अम्बिकापुर जाने के लिए गोपाल मित्तल, मुकेश अग्रवाल और ड्रायवर जीवन दास के साथ निकला था कि शाम करीब 4.30 बजे धरमजयगढ सिसरिंगा घाटी के आगे सामने से आ रही ट्रक क्रंमाक एमएच 04 एफपी 0060 का चालक इनक कार का ठाकर मार कर एक्सीडेंट कर दिया। जिससे कार सवार आहत हुए। घटना की सूचना थाना धरमजयगढ को प्राप्त होने पर उप निरीक्षक प्रदीप जायसवाल मौका पहुंचकर आहतों को ईलाज के लिये सीएचसी धरमजयगढ भिजवाए। घटना की रिपोर्ट किए जाने पर ट्रक चालक के विरूद्ध धारा 279,337 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।

Follow_Up News

स्त्री-प्रताड़णा पर अब तक ना तो संज्ञान, ना ही एफआईआर

लिखित में दो-दो बार शपथ-पत्र के साथ शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं करती कार्यवाही?

सामाजिक न्याय को दिए अपने आवेदन में मोबाईल नं0 के साथ पीड़िता ने बताया कि - मैं ''श्रीमती अर्चना दुबे'' पत्नी श्री अमित दुबे, उम्र 30 वर्ष, निवासी हाल मुकाम श्री अनिल उपाध्याय, कसेरपारा, उत्तर चक्रधरनगर, रायगढ़, छ0ग0 पिन 496001, की रहने वाली होकर आपके समक्ष शपथ-पत्र के साथ यह स्मरण-पत्र प्रस्तुत करती हूँ, विदित हो कि मेरे द्वारा पूर्व में भी आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़िता ने कहा - कि मेरा मायका रायगढ़ में है, मेरे पिता एवं परिवार पिछले 30 साल से यहीं निवास कर रहे हैं। मेरा विवाह हिन्दु रीति-रिवाज के साथ दिनॉक 02/12/2010 को मेरे पैतृक ग्राम सिंधोरा बाजार पो0 आ0 चैनपुर जिला वाराणसी उत्तरप्रदेश से सम्पन्न हुआ था। हम मिताश्ररा से संचालित है। मुझे एवं मेरे परिवार को बताया गया था कि मेरे पति अमित दुबे एन0टी0पी0सी0 ऊँचाहार में अधिकारी हैं और उनकी 25000/- रु0 प्रति माह की आमदनी है। साथ ही यह भी कि उनके कई मकान दुकान एवं ढेरो अचल सम्पत्ति ऊँचाहार में है। जो कि सब झूठ था, जो कि शादी के कुछ समय के बाद ही मुझे ज्ञात हो गया। अपने आवेदन में उन्होने बताया कि मेरे परिवार ने मेरे सास-ससुर एवं पति के द्वारा उक्त के सापेक्ष में दहेज की मांग की जो कि अच्छे रिश्ते के कारण मेरे पिता ने उधार करके एवं लोन लेकर पूरी की। विवाह के दो महीने तक मेरे पति काम पर नहीं गए तो मुझे लगा कि विवाह हेतु छुट्टी लिए होंगें, लेकिन मुझे कुछ शंका होने लगी। तीसरे माह में मेरे द्वारा घर-खर्च के लिए अपने पति को अपनी माता से रकम मांगते हुए देखा, जो कि मुझे बेहद विचित्र लगा, मैंने अपने पति से पूछा कि आप माताजी से पैसे क्यों मांग रहे हैं, जिसपर उन्होने कहा कि फिर किस से मांगू , पिताजी तो मुझे रकम देते नहीं है। मेरे लिए यह बेहद विचित्र बात थीं, जो व्यक्ति एन0 टी0 पी0 सी0 में उच्चाधिकारी है, उसे भला अपने माता-पिता से खर्च के लिए रकम मांगने की क्या जरुरत है? मैंने इसपर अपनी सास से बात की तो उन्होने कहा कि अमित अभी कुछ नहीं करता है, उसे एन0टी0 पी0सी0 में लगवाना है, तेरे पिताजी से बोल कि 10 लाख रुपये ले ले, तो अपना काम हो जाएगा। मैं आसमान से गिरी, मुझे लगा कि मुझे एवं मेरे पूरे परिवार के साथ जालसाजी हुई है, मैने कहा मतलब आपने झूठ कहा तो मेरी सास बिमला देवी आगबबूला हो गई, और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, जिससे मेरे ससुर, ननद एवं देवर आ गए, इसपर मुझे सब मिलकर गाली-गलौज करते हुए मारने लगे, मैं तो वैसे ही सच्चाई जानकर शाक्ड थीं,मार खाती रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मुझे बुरी तरह मार-पीट के उन लोगों ने मुझे रसोई में बंद कर दिया, मेरा मोबाईल छीन लिया। इसबीच मेरे पति अमित भी आ गए और उन्होने भी मुझे बाहर निकालने अथवा बात करने की कोई कोशिश मुझे से नही की। पूरा दिन मैं बंद रही, जब मैंने कहा कि मुझे बाहर निकालो नहीं तो मैं रसोई में ही गंदा कर दूँगी तो मुझे बाहर निकाला गया, जिसके बाद किसी डाक्टर को बुलाकर मेरा चेकअप कराया और कहा गया कि पैर फिसल गया, गिर गई है। मैं तब भी बेहद शाक्ड थीं। मैंने कुछ दिन बाद इस घटना को अपने पिता एवं परिवार को बताया। इसके कुछ दिन बाद पुनःभावनात्मक रुप से मुझे कहा जाने लगा कि दस लाख रुपये अपने पिताजी से मांग लो तुम्हारे पति की नौकरी हो जाएगी, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जिसपर विचार करके मैंने अपने पिता से उक्त सम्बंध में चर्चा की तो उन्होने मुझे कहा कि मैं केवल पॉच लाख का इंतजाम कर सकता हूँ , जो मेरे द्वारा बताए जाने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा कि ठीक है, इतना तो मंगाओ , जिसपर मेरे पिता ने कर्ज लेकर पॉच लाख रुपये दिए। कुछ दिन सब सामान्य रहा और मेरे पति ने टेम्पररी जॉब ज्वाईन कर लिया।

इसके बाद पुनः प्रताड़ित करना शुरु हो गया, मुझे मेरे कमरे से अलग रसोई में रखा जाना लगा, बात-बात पर गंदी-गंदी गालियॉ दी जाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो रहा है, तब मैंने जानना चाहा तो बताया गया कि नौकरी परमनेंट करने के लिए दस लाख रुपये लगेगें, अपने पिताजी को बोलो!! मैंने मना कर दिया तो मेरी लात-घूसे से जानवरो की तरह पिटाई की गई, जिससे मेरी तबियत खराब हो गई। मेरे ससुराल में रहने के दौरान मेरे पति ने मुझसे मार-पीट करते हुए धक्का दिया था, जिससे मैं हैण्डपंप के उपर गिर गई थीं, जिससे मेरे गंभीर चोट लगी, जिसका ईलाज भी मेरे ससुरालवालों के द्वारा नहीं कराया गया। केवल, मेरी तबियत खराब होने की बात मेरे पिता को बताई गई, जिसपर 25 अप्रेल 2015 को मेरे चाचा अशोक उपाध्याय मुझे लेने आए , मेरे शरीर में आई चोटो को देखकर उन्होने पूछा तो मैने शर्म से झूठ कह दिया कि ''गिर गई थी''। उनके साथ मैं रायगढ़ आ गई। तब से मैं अपने माता-पिता के घर मे ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आरोपियों के विरुद्ध दहेज मांगने एवं शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करने के आपराधिक कृत्य की शिकायत दर्ज हो, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे मैं और ज्यादा प्रताड़ित हो रही हूँ।

:: सामाजिक न्याय संघ ने प्रकरण की गंभीरता के सापेक्ष में तत्काल कार्यवाही करते हुए पूर्व में भेजे अपने निवेदन के सापेक्ष में स्मरण-पत्र को तत्काल प्रभाव से निम्न को प्रेषित किया है ::

1/ श्रीमान् राज्यपाल महोदय, राजभवन, छ0ग0 शासन, रायपुर, छ0ग0। 2/ श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय, छ0ग0 शासन, रायपुर, छ0ग0। 3/ श्रीमान् मुख्य न्यायामूर्ति , माननीय उच्चतम् न्यायालय (सु0को0), नई दिल्ली, इंडिया। 4/ श्रीमान् मुख्य न्यायामूर्ति , माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर,छ0ग0। 5/ श्रीमान् पुलिस महा निदेशक , छ0ग0 शासन, रायपुर। 6/ श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ0ग0। 7/ श्रीमान् एस0पी0 महोदय, रायगढ़, जिला रायगढ़, छ0ग0। 8/ श्रीमान् एस0पी0 महोदय, रायबरेली, जिला रायबरेली, उ0प्र0। 9/ श्रीमान् थाना प्रभारी, थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली, उ0प्र0। 10/ श्रीमान् थाना प्रभारी, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़, छ0ग0। **जिसपर तत्काल कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है।**

संज्ञान हेतु क्या होने चाहिए साक्ष्य?

मेरे विरुद्ध जो मानसिक एवं शारीरिक घरेलू हिंसा मेरे ससुरालवालों के द्वारा की गई है, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं -- 1/ हाथ, जूता, बेल्ट से मारना 2/ ससुर के साथ नाजायज सम्बंध होने का लांछन लगाना 3/ छोटे घर से आई है, दहेज नहीं लाई है कहना 4/बांझ है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, कहना 5/ बाहर नहीं निकलने देना बद करके रखना 6/ कम पढी लिखी है, मोटी है कहना 7/ माता-पिता को ले कर उपहास करना 8/ पति की दूसरी शादी कराने के बारे में कह-कह कर मानसिक रुप से प्रताड़ित करना 9/ बुनियादी जरुरतों को पूरा नहीं करना 10/ रसोई में जाने से रोकना 11/ बारंबार दहेज में 10 लाख की मांग करना 12/ स्त्रीधन पर कब्जा करना आदि..जो कि आपराधिक प्रकरण हेतु सक्षम एवं पुष्टिकारक साक्ष्य है जिसके बाद भी कार्यवाही का नहीं होना न्यायोचित नहीं हैं। इसलिए प्रकरण को लिखित में माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी निर्णयों को भी सामाजिक न्याय संघ के द्वारा पीड़िता के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है जो कि इस प्रकार हैं -

a/ If wife is residing in said location she can file complaint in local Police station. **b/** The Police has authorities u/s 156 Cr.P.C. to investigate any cognisible case for which FIR is lodged. **c/** At the stage of investigation, there is no question of interference u/s 482 of Cr.P.C. of the ground that the investigation officer arrives at the conclusion that the cause of action for lodging FIR has not arisen within the territorial jurisdiction, then he/she is required to submit a report accordingly u/s 170 of Cr.P.C. and to farward the case to the Magistrate empowered to take cognizence of the offence.

छत्तीसगढ़ - सुकमा में तैनात होंगे गुरिल्ला युद्ध में पारंगत 2000 कोबरा कमांडो
नक्सलियों पर लगाएंगे लगाम

नया दिल्लाः छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के छापामार युद्ध में पारंगत कोबरा बटालियन के 2000 कमांडो को जल्द तैनात किया जायेगा। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुकमा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों पर 24 अप्रैल को हुये हमले के बाद हाल ही में नक्सलियों के अब तक के सबसे घातक हमलों को देखते हुये यह फैसला किया गया है। इससे पहले 11 मार्च को नक्सल हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान और 24 अप्रैल के हमले में 25 जवान शहीद हो गये थे। अधिकारी ने बताया कि इस तरह के हमलों के मद्देनजर इस क्षेत्र में कोबरा कमांडो की कम से कम 20 से 25 कंपनियां तैनात करने की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है।

कोबरा कमांडो की एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं। इनकी तैनाती फिलहाल पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाकों में है। उन्होंने यहां से जल्द ही कोबरा कमांडो को सुकमा क्षेत्र में स्थानांतरित करने की पुष्टि की। सिर्फ खुफिया सूचनाओं पर नक्सलरोधी अभियानों को सचालित करन क लिय प्रशिक्षित किये जाने वाले कोबरा कमांडो की कार्रवायी शत्रु के ठिकानों को नष्ट कर धन-जन की हानि को न्यूनतम करने पर केन्द्रित होती है। कोबरा कमांडो की कुल 154 में से 44 टीमें इस समय छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल में तैनात हैं। बस्तर मंडल में सुकमा और दंतेवाड़ा सहित अन्य जिले शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में नक्सली हिंसा से निपटने के लिये केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बटालियनों की संख्या बढ़ाने का माग पर केन्द्र सरकार ने असहमति जताई है। इसमें केन्द्र सरकार की दलील है कि बटालियन की संख्या बढ़ाने के बजाय नक्सल विरोधी अभियानों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाना चाहिये। हालांकि मंत्रालय ने बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों की अति सक्रियता वाले इलाकों में सीआरपीएफ और बी एस एफ की बटालियनों की फिर से तैनाती पर सहमति जतायी है। साथ ही मंत्रालय ने इन इलाकों में वायु सेना के हेलीकॉप्टर से निगरानी की अवधि को बढ़ाने की योजना बनायी है। इसमें हेलीकॉप्टर से प्रतिमाह 120 घंटे निगरानी को बढ़ाकर 160 घंटे करने का विचार है।

रमन की अब दिव्यागं योजना
दस किलों राशन मिलेगा मुफ्त

न्यायसाक्षी@रायगढ़। रमन सरकार ने गरीबों को एक रुपये में एक किलों चांवल देने की योजना के बाद अब दिव्यागों को मुफ्त राशन मुहैय्या करायेगी। प्रत्येक दिव्यांग को सहकारी संस्था की दुकानों से दस किलो राशन दिया जायेगा। इस व्यवस्था के तहत रायगढ़ जिले में 198 दिव्यागं परिवारों को सुविधा दी जायेगी। जिसके लिये ग्रीन कार्ड जारी किये जा रहें हैं, जिला खाद्य अधिकारी जे पी राठिया ने बताया की सभी व्यवस्थाए पूर्ण कर ली गयी हें । दिव्यागों के लिये इस प्रकार की यह पहली योजना हैं, जिसके लिये परिवारों का चयन कर ग्रीनकार्ड तैयार किये गये हैं, जिसका वितरण शीघ्र कर दिया जाएगा, और दिव्यागों को राशन मिलना आंरभ हो जायेगा। सरकार की यह योजना अन्य जारी योजनाओ से अलग होगी, जिसका लाभ सिर्फ दिव्यागों को ही मिलेगा सरकारी राशन दुकानों से इन कार्डो पर दस किलों राशन निशुल्क प्रदाय किया जायेगा। विदित हैं की छत्तीसगढ़ की गरीब राशन योजना का देश के अन्य भाजपा सरकारों ने भी अनुसरण के अपने अपने राज्यों में गरीबों को सस्ता राशन सुलभ करा रहें हैं।

शहर में पीटा एक्ट की पहली कार्रवाई
मकान की किरायेदार भी हिरासत में

न्यायसाक्षी@रायगढ़। रायगढ़ शहर की चक्रधर नगर थाना पुलिस टीम ने नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अतरमुडा दिनदयाल पुरम स्थित एक मकान में छापामार कार्रवाई करते हुए एक युवकए एक युवती को रंगे हाथ पकडा, और दोनों के पास से अनैतिक कृत्य संबंधी सामान भी बरामद किये। पुलिस ने दोनों को पीटा एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार करते हुए मकान में रहने वाली किरायेदार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के 6 महीने पहले पीटा एक्ट तहत कार्रवाई करने की मंजूरी मिली थी और आज जिला मुख्यालय में यह पहली कार्रवाई दर्ज की गई।

प्लाट दिलाने 2 लोगों से 3 लाख की धोखाधडी

न्यायसाक्षी@रायगढ़। रायपुर में अभनपुर में प्लाट दिलाने के नाम पर दो लोगों से 3 लाख रूपये की धोखाधडी का मामला सामने आया है। कोष्टापारा पैलेस रोड रायगढ निवासी गोपीनाथ मेहर उम्र 60 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने यश आईसक्रीम पार्लर के संचालक आशीष सिंह ठाकुर के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध कर लिया है।

एक्सीडेंट - तीन हादसों में हुए पांच घायल

न्यायसाक्षी@रायगढ़। थाना बरमकेला के छापर मोड सुरा गायत्री मन्दिर के पास ट्रेलर वाहन का चालक मोटर सायकल में जा रहे महिला - पुरूष व दो बच्चो को ठोंकर मारकर एक्सीडेंट कर भाग गया । घटना की जानकारी गांव वालों को होने पर 108 संजीवनी वाहन को बुलवाकर आहतों को सीएचसी बरमकेला में भर्ती कराये। घटना की रिपोर्ट किये जाने पर धारा 279,337 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। **दूसरा हादसा** लैलूंगा के ग्राम रायकेरा में कल सुबह 5 बजे वाहन चालक राजाराम लकडा स्कुल बस क्र0 सीजी12 एक्स 0354 को चलाने के लिये प्रकाश कुमार पैंकरा के पास छोडने के लिये उसके गांव गया, जहां प्रकाश पैंकरा के शादी में जाने की जानकारी होने पर उसके ग्राम से प्रकाश को बस में बिठाकर वापस प्रकाश के घर आ रहे थे कि राजाराम लकड़ा लापरवाही पूर्वक बस को चलाते खेत में वाहन को पलटी कर दिया। जिससे प्रकाश सिंह को कई जगह चोटें आयी है । घटना की रिपोर्ट पर राजाराम लकडा के विरूद्ध दर्ज कर लिया गया। **तीसरी घटना** 7 मई की रात करीब 9.45 बजे कोरबा वेस्ट कोल्ड स्टोरेज के पास मेन रोड पर मिल्डरोड बोलेरो वाहन सीजी13 यू 2172 में बैठे, दो व्यक्तियों को कोई अज्ञात वाहन ठोंकर मारकर एक्सीडेंट कर भाग गया था । कोरबा वेस्ट कम्पनी में कार्यरत सिक्युरिटी सुपरवाइजर सुनील भास्कर पेट्रालिंग के समय सड़क किनारे गिरे पडे व्यक्तियों को देखकर कम्पनी के एम्बुलेंस को बुलवाकर आहतों को शासकीय अस्पताल रायगढ़ भिजवाये और घटना की रिपोर्ट थाना पुसौर में दर्ज कराये। रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध धारा 279,337 भादंवि दर्ज कर लिया गया ।

जेठ ने की बहू की फावडा मारकर हत्या

न्यायसाक्षी@रायगढ़। शाम 7.30 बजे जेठ ने अपने ही भाई की पत्नी की हत्या कर दी। यह वारदात ग्राम नंदेली में हुयी जहां आज शाम बच्चों के विवाद को लेकर शिव बरेठ नें अपने भाई नान्हू बरेठ की पत्नी ममता बरेठ की फावड़ा से गर्दन व चेहरे पर वार कर हत्या कर दी । कोतरा रोड़ पुलिस घटना स्थल पर पहुचं गयी हैं, मामले की जांच देर रात तक जारी थी जिसके कारण विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही। हत्या के समय मृतका का पति घर पर नहीं था डी बी पावर में वह ड्यूटी पर था ।